

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./2016/412

भोपाल, दिनांक 16/12/2016

//आदेश//

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल द्वारा Annual Postgraduate Rheumatology CME & Workshop का दिनांक 21 दिसम्बर 2016 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

अतएव इस कार्यशाला में सम्मिलित होने हेतु निम्न चिकित्सा विशेषज्ञ/एमडी मेडिसिन चिकित्सक का नामांकन किया जाता है:-

क्र.	चिकित्सा विशेषज्ञ का नाम	पद स्थापना स्थल
1	डॉ. विष्णु गर्ग	जिला चिकित्सालय, श्योपुर
2	डॉ. अनिल शुक्ला	जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल
3	डॉ. ए.के. द्विवेदी	जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल
4	डॉ. एन.के. पाठक	राजभवन डिस्पेंसरी, भोपाल
5	डॉ. संजय खरे	जिला चिकित्सालय, विदिशा
6	डॉ. मनीष शर्मा	जिला चिकित्सालय, हरदा
7	डॉ. आर.एस. विजयवर्गीय	सिविल अस्पताल, बैरागढ़, भोपाल
8	डॉ. उल्लहास महाजन	जिला चिकित्सालय, इंदौर
9	डॉ. चंद्रमोहन पुराणिक	जिला चिकित्सालय, उज्जैन
10	डॉ. आर.एल. दिवाकर	सामु. स्वा. केन्द्र मण्डीदीप, जिला रायसेन
11	डॉ. दीपक अग्निहोत्री	जिला चिकित्सालय, सिवनी
12	डॉ. दिनेश गर्ग	जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल

- कार्यशाला में भाग लेने हेतु चिकित्सकों की पंजीयन शुल्क राशि का भुगतान इस विभाग द्वारा किया जावेगा।
- उक्त हेतु चिकित्सकों को यात्रा/दैनिक भत्ते का भुगतान शासकीय नियमानुसार देय होगा।
- उक्त कार्यशाला में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 21 दिसम्बर 2016 को प्रातः 09.00 बजे डा. वैभव इंग्ले, आर्गेनाइसिंग सचिव, एम्स भोपाल को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

(डॉ. बी.एस. ओहरी)

संचालक (प्रशिक्षण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

भोपाल, दिनांक /12/2016

पृ.क्र./प्रशि./2016/

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित/प्रेषित :-

- स्वास्थ्य आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय, भोपाल।
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन भोपाल, श्योपुर, विदिशा, हरदा, इंदौर, उज्जैन, रायसेन एवं सिवनी, म.प्र की ओर भेजकर लेख है कि आप अपने अधीन कार्यरत संबंधित चिकित्सक को उपरोक्तानुसार कार्यशाला में भाग लेने हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें।
- डॉ. वैभव इंग्ले, आर्गेनाइसिंग सचिव, कनेक्ट 2016 एम्स भोपाल।
(ईमेल: vaibhav.genmed@aiimsbhopal.edu.in मोबाईल: 9575735910)
- समस्त संबंधित चिकित्सक (उपरोक्तानुसार) की ओर पालनार्थ।

संचालक (प्रशिक्षण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.